


दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]
No. 180]

दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2008/कार्तिक 26, 1930
DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2008/KARTIKA 26, 1930

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 235
[N.C.T.D. No. 235

फा. सं. 4/1/2007/श.वि./21235.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम 44) की धारा 144 के साथ प्रेषित धारा 388 की उप-धारा (1) में विविध मामलों से संबंधित 'जे उप-विधियाँ' शीर्ष के अन्तर्गत उक्त कथित अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार पूर्व प्रकाशन के उपरान्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित परिषद् की संकल्प संख्या 13 (ए-21) दिनांक 18 जुलाई, 2007 के द्वारा नई दिल्ली नगर-पालिका परिषद् द्वारा बनाए गए,

2547 DG/08-4

(1) किमी. की दूरी पर स्थित, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है, जो कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

- (ख) किमी. की दूरी पर स्थित, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है, जो कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
- (क) 50,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) से अधिक की लागत पर निर्माण किया गया है।

इसके अलावा निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :-

- 1. अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माण किया गया है।
- 2. अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माण किया गया है।

- (ख) "एन" से संबंधित आयु 15 वर्ष से अधिक है।
- (क) "एन" से संबंधित आयु 15 वर्ष से अधिक है।

- 1) 34-विभाग "एन" से संबंधित आयु 15 वर्ष से अधिक है।
- 2) 34-विभाग "एन" से संबंधित आयु 15 वर्ष से अधिक है।

1. अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माण किया गया है।

34-विभाग "एन" से संबंधित आयु 15 वर्ष से अधिक है।

35